Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 29-2019] CHANDIGARH, TUESDAY, JULY 16, 2019 (ASADHA 25, 1941 SAKA)

General Review

अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की वर्ष 2016–17 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

दिनांक 21 जून, 2019

संख्या 841–स०क०(1)–2019.—

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा के लिए वर्ष 2016–17 में स्टेट प्लान (20560.00 लाख रुपये), केन्द्रीय प्रयोजित (28350.00 लाख रुपये), विशेष केन्द्रीय सहायता (2615.00 लाख रुपये) तथा नान प्लान (15877.00 लाख रुपये) योजनाओं के लिए कुल निर्धारित राशि 67402 लाख रुपये थी। उपरोक्त निर्धारित राशि में से 56661.36 लाख रुपये की राशि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इस वर्ष राज्य प्लान (24216.70 रुपये), केन्द्रीय प्रयोजक प्लान (16469.72 लाख रुपये), विशेष केन्द्रीय सहायता (1038.98 लाख रुपये) तथा नान प्लान स्कीम (14935.96 लाख रुपये) में खर्च की गई।

2. स्टेट प्लान, केन्द्रीय प्रयोजक, विशेष केन्द्रीय सहायता तथा नान प्लान स्कीमों का सारांश इस प्रकार है :–

(क) राज्य प्लान स्कीमें

(1) **"डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना"** के अन्तर्गत मकान बनाने/मुरम्मत हेतु अनुसूचित जातियों व टपरीवास एवं विमुक्त जातियों के व्यक्तियों को 1000.00 लाख रुपये की राशि वित्तीय सहायता के रूप में 4000 लाभपात्रों को प्रदान की गई ।

(2) **हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम** को इस वर्ष के दौरान शेयर कैपिटल के रूप में 125.00 लाख रुपये की राशि तथा प्रशासकीय खर्च को जुटाने हेतु 4444.00 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए गए। इस राशि में प्रशासनिक अनुदान हेतु 350.00 लाख रू0 तथा 31.03.2013 तक माफ किए गए 4094.00 लाख रू0 का लोन तथा ब्याज की राशि शामिल है।

(3) **"अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग की विधवाओं/निराश्रित महिलाओं तथा गरीब लड़कियों को सिलाई प्रशिक्षण"** योजना के अन्तर्गत 53.54 लाख रुपये की राशि 1723 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने पर खर्च की गई।

(4) **"मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना"** के अन्तर्गत 8017.79 लाख रुपये की राशि 29426 लाभपात्रों को वर्ष 2016–17 में प्रदान की गई।

(5) **हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम** को वर्ष 2016–17 के दौरान शेयर कैपिटल के रूप में 96.00 लाख रुपये की राशि तथा प्रशासकीय खर्च जुटाने हेतु 8027.00 लाख रुपये की राशि अनुदान के रुप में दी गई है। इस राशि में प्रशासनिक खर्च हेतु 6750.00 लाख रू0 तथा 7352.00 लाख रू0 31.03.2013 तक माफ किए गए लोन तथा ब्याज की राशि में शामिल है।

(6) **डा0 अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना** के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 1617.52 लाख रुपये की राशि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के 22040 छात्रों को प्रदान की गई।

(7) **सूचना प्रौद्योगिकी स्कीम** के अन्तर्गत 19.99 लाख रुपये की राशि वर्ष 2016–17 मे खर्च की गई।

(8) ''**अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गो के बेरोजगार युवकों को कम्पयूटर के माध्यम से टंकण तथा डाटा एन्ट्री में कौशल स्कीम**'' पर 46.48 लाख रुपये की राशि वर्ष 2016–17 में 237 युवकों को प्रशिक्षण देने हेतु खर्च की गई।

(9) **अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित 19 संस्थाओं/समितियों** को वर्ष 2016–17 मे 30.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

(10) **अनुसंधान एवं अध्ययन** के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 5.92 लाख रुपये की राशि वर्ष 2016–17 मे खर्च की गई ।

(11) **रोजगार उन्नमुख संस्थाए/प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करके रोजगार के संसाधन उत्पन्न करना स्कीम** के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 100.00 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

(12) **अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के सदस्यों को उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग हेतु वित्तीय सहायता स्कीम** के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 39.60 लाख रुपये की राशि 1100 युवकों को प्रशिक्षण देने हेतु खर्च की गई।

(ख) केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमें

(1) भारत सरकार की **"अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम** के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 23899.9 लाख रूपये (11376.83 लाख नान प्लान तथा 12523.07 लाख केन्द्रीय हिस्सा) 90784 अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रदान की गई।

(2) भारत सरकार की **"पिछडे वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम** के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 512.16 लाख रूपये 19348 पिछडे वर्ग के छात्रों को प्रदान की गई।

(3) **अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की मैरिट अपग्रेडशन स्कीम** पर वर्ष 2016–17 में 6.75 लाख रुपये की राशि 27 छात्रों पर खर्च की गई है।

(4) ''पी.सी.आर. एक्ट 1955'' तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989'' के परिपालन हेतु मशीनरी के अन्तर्गत स्कीमें :–

- ''**कानूनी सहायता स्कीम**'' के अन्तर्गत 1.82 लाख रुपये (0.91 लाख राज्य प्लान व 0.91 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित) की राशि 33 लोगों को प्रदान की गई।
- ''**सामाजिक समरस्ता अन्तर्जातीय विवाह शगुन योजना**'' के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 465 नव विवाहित जोड़ों को 239.92 लाख रुपये (119.96 लाख रूपये प्लान तथा 119.96 लाख रूपये केन्द्रीय सहायता) की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी गई।
- ''**उत्कृष्ठ कार्य करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन स्कीम**'' के अन्तर्गत इस वर्ष 48.00 लाख रुपये (24.00 लाख रुपये स्टेट प्लान तथा 24.00 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता) की राशि 96 पंचायतों को पुरस्कार के रूप में खर्च की गई ।
- ''**स्कीमो का प्रचार स्कीम**'' के अन्तर्गत इस वर्ष 19.85 लाख रुपये (9.93 लाख रुपये स्टेट प्लान तथा 9.92 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता) की राशि स्कीमों के प्रचार पर खर्च की गई।
- ''**छुआछूत दूर करने हेतु डिबेटस व सैमीनार स्कीम**'' के अन्तर्गत इस वर्ष 5.24 लाख रुपये (2.62 लाख रुपये स्टेट प्लान तथा 2.62 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता) की राशि 46 डिबेटस एवं सैमीनार पर खर्च की गई।
- ''**अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण अधिनियम 1989) के अन्तर्गत अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता योजना**''अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति के सदस्यों को वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत 430.46 लाख रुपये (214.87 लाख रुपये प्लान तथा 214.87 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता) की राशि 487 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रदान की गई।

(ग) विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीम (100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)

वर्ष 2016–17 में, विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार से 1752.26 लाख राशि प्राप्त हुई, जिसमें से 1124.25 लाख रुपये विभिन्न विभागों को वितरित किए गये। 738.98 लाख रुपये की राशि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा भिन्न भिन्न आय उपार्जन स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक विकास हेतु खर्च किए गए हैं, 300.00 लाख रुपये अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रोग्राम के अन्तर्गत खर्च किए गए हैं, ''अनुसूचित जाति/जनजाति को विशेष प्रशिक्षण और आईटीआई के उन्नयन के लिए आयोजन'' स्कीम के अन्तर्गत कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग को 85.27 लाख रुपये की अनुदान राशि दी गई।

(घ) अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP)

अनुसूचित जाति उप–योजना को नीति आयोग, भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार, तैयार, कार्यान्वित तथा मानीटर किया जा रहा है। 2011 की जनगणना अनुसार, हरियाणा राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 20.17 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति उप–योजना के अन्तर्गत केवल उन स्कीमों को शामिल किया जाता है जिनसे अनुसूचित जातियों को सीधा लाभ पहुंचता है तथा इसके अन्तर्गत न्युनतम सेवायें क्षेत्र प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, न्यूट्रिशन, ग्रामीण आवास, ग्रामीण लिंक सड़कें, ग्रामीण विद्युतिकरण, कृषि और सम्बन्धित कार्यों पर प्राथमिकता प्रदान करना है। राष्ट्रीय नीतिगत अनुसार 40 प्रतिशत एवं उससे अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांवो (843 गांव) पहले संतृप्त तथा ढ़ाचागत के साथ प्रदान किया जाता है। पूँजी को राज्य की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2016–17 में राज्य की वार्षिक योजना का कुल खर्च 3258500.44 लाख रूपये में से 489249.72 लाख रूपये अनुसूचित जाति–उपयोजना के अन्तर्गत खर्च किए गए थे। अर्थात अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत सम्बन्धित सभी विभागों द्वारा 15.01 प्रतिशत राशि खर्च की गई थी।

(ड) नान प्लान स्कीमें

(1) भारत सरकार की **"अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम''** के अन्तर्गत् वर्ष 2016–17 में 11376.83 लाख रुपये की राशि को छात्रवृति के रूप में प्रदान की गई।

(2) भारत सरकार की **"अन्य पिछडे वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम''** के अन्तर्गत् वर्ष 2016–17 में 512.16 लाख रुपये की राशि को छात्रवृति के रूप में प्रदान की गई।

(3) **''सफाई तथा जान जोखिम वाले व्यवसायों मे लगे लोगों के बच्चों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना''** देने के लिए वर्ष 2016–17 में 3.44 लाख रुपये की राशि 208 छात्रों को छात्रवृति के रूप में दी गई।

(4) **''सफाई तथा जान जोखिम वाले व्यवसायों मे लगे लोगों के बच्चों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना''** के अन्तर्गत होस्टल स्टॉफ के लिए वर्ष 2016–17 में 94.97 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

(5) वर्ष 2016–17 में **''विमुक्त जाति के छात्रों के लिए जीन्द में स्थापित छात्रावास''** में रहने वाले छात्रो पर 23.21 लाख रुपये की राशि छात्रों को होस्टल सुविधा प्रदान करने हेतु खर्च की गई।

(6) **''हरियाणा द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग''** के अमले को वेतन तथा भत्ते देने के लिए 138.25 लाख रुपये की राशि वर्ष 2016–17 में खर्च की गई ।

(7) उपरोक्त स्कीमों की परिपालना हेतु निदेशालय, जिलों/तहसीलों आदि में नियुक्त अमले के वेतन तथा भत्तों पर वर्ष 2016–17 में 2681.42 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

(च) आरक्षण नीति का संक्षिप्त विवरण

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग में एक रोजगार भाखा का गठन किया गया है जिसका मुख्य कार्य राज्य सरकार की अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए बनाई गई सरकारी सेवाओं में आरक्षण एवं सरकारी शिक्षण संस्थानो तथा गैर सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानो में दाखिले में आरक्षण नीति की परिपालना/मूल्यांकन करवाया जाना है। विभाग की रोस्टर चैकिंग पार्टी द्वारा नियमित रूप से सभी विभागो एवं सार्वजनिक उपक्रमों के आरक्षण सम्बन्धी रोस्टर रजिस्टर चैक किए जाते है।

वर्तमान में अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, विशेष पिछड़ा वर्ग, सामान्य जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, मेधावी खिलाड़ियों एवं निःशक्त जनो के लिए राज्य सरकार की आरक्षण नीति दिनांक 15.07.2014 अनुसार निम्न प्रकार से प्रावधान किया गया हैः–

क्र०सं०	श्रेणी	आरक्षण की प्रतिशतता
1.	अनुसूचित जाति	20 प्रतिशत श्रेणी I, II, III व IV सीधी भर्ती के पदों में 20 प्रतिशत श्रेणी III व IV पदोन्नति के पदों में*
2.	पिछड़े वर्ग	15 प्रतिशत श्रेणी I व II सीधी भर्ती के पदों में पिछड़े वर्ग (ब्लाक 'ए') 11 प्रतिशत सीधी भर्ती के पदों में पिछड़े वर्ग (ब्लाक 'बी') 6 प्रतिशत सीधी भर्ती के पदों में पिछड़े वर्ग (ब्लाक 'सी') 6 प्रतिशत सीधी भर्ती के पदों में 37 प्रतिशत श्रेणी III व IV सीधी भर्ती के पदों में (16 प्रतिशत ब्लाक 'ए' व 11 प्रतिशत ब्लाक 'बी', 10 प्रतिशत पिछड़े वर्ग ब्लाक 'सी' *)
3.	भूतपूर्व सैनिक	5 प्रतिशत श्रेणी I व II के पदों में हारिजेन्टल आरक्षण 14 प्रतिशत श्रेणी हारिजेन्टल आरक्षण (7 प्रतिशत सामान्यए 2 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 2 प्रतिशत पिछड़े वर्ग (ब्लाक 'ए') व 3 प्रतिशत पिछड़े वर्ग (ब्लाक 'बी') श्रेणी III व IV के पदों में)
4.	उत्कृष्ट खिलाड़ियों	3 प्रतिशत हारिजेन्टल आरक्षण (1 प्रतिशत सामान्यए, 1प्रतिशत अनुसूचित जाति व 1 प्रतिशत पिछड़े वर्ग ब्लाक 'ए' व 'बी' में से बारम्बार) श्रेणी III व IV के पदों में
5.	निःशक्त जन	3 हारिजेन्टल आरक्षण (1 प्रतिशत प्रत्येक के लिए निःशक्त जन, नेत्रहीन व मूक एवं वधीरद्ध श्रेणी I, II, III व IV के सीधी भर्ती पदों में
6.	सामान्य जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोग	7 प्रतिशत श्रेणी I व II सीधी भर्ती के पदों में* 10 प्रतिशत श्रेणी III व IV सीधी भर्ती के पदों में*

*माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायलय द्वारा रोक लगाई हुई है।

बैकलॉग

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग के बैकलॉग से सम्बन्धित दिनांक 31.03.2016 तक की सूचना का विवरण निम्न प्रकार है:–

ग्रुप	कुल स्वीकृत पद	कुल भरे हुए पद	सीधी भर्ती बैकलॉग					
			अनुसूचित जाति	पिछड़े वर्ग (ए)	पिछड़े वर्ग (बी)	विशेष पिछड़ा वर्ग	सामान्य जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोग	भूतपूर्व सैनिक सामान्य
53 विभाग								
ए	644	424	2	11	5	1	4	5
बी	7549	4313	272	80	141	195	199	31
सी	90253	61032	2660	2224	1507	1853	4741	1089
डी	23389	13285	574	503	396	491	465	213
53 बोर्ड कार्पोरेशन								
ए	1929	1233	44	08	03	0	0	5
बी	1317	679	15	15	06	01	05	0
सी	33093	15571	489	409	174	68	106	153
डी	10709	6001	374	320	280	163	187	236
24 उपायुक्त/आयुक्त								
सी	1680	799	93	88	74	52	81	47
डी	1526	676	61	76	64	53	76	57

3. यह प्रशासनिक रिपोर्ट अनुसूचित जातियाँ तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा का वर्ष 2016–17 की स्कीमों का वर्णन करती है। इस प्रशासनिक रिपोर्ट के अगले पृष्ठों में भिन्न–भिन्न स्कीमों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। यद्यपि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कई स्कीमें शुरू की है परन्तु उन्हें दूसरे वर्गों के बराबर लाने के लिए और अधिक ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है और आने वाले वर्षों में विभाग इसके लिए और अधिक दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करेगा।

4. इस रिपोर्ट की समीक्षा को सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाए तथा इस रिपोर्ट की प्रतियां भारत सरकार को तथा अन्य सम्बन्धित कार्यालयों को भेज दी जाएं ।

नीरजा शेखर,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

चण्डीगढ़:
दिनांक 21.06.2019

REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES & BACKWARD CLASSES DEPARTMENT FOR THE YEAR 2016-17.

The 21st June, 2019

No. 841- S.W (1)-2019.—

During the year 2016-17, a sum of Rs. 67402.00 lacs was allocated under State Plan (Rs. 20560.00 lacs), centrally sponsored Plan (Rs.28350.00 lacs), Special Central Assistance (Rs. 2615.00 lacs) and Non-Plan Schemes (Rs. 15877.00 lacs) for the Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department. During this period, against the above allocation, Rs. 56661.36 lacs were utilized under different schemes of State Plan (Rs. 24216.70 lacs), Centrally Sponsored Plan (Rs. 16469.72 lacs), Special Central Assistance (Rs. 1038.98 lacs) and Non-Plan Schemes (Rs. 14935.96 lacs).

2. A summary of State Plan, Centrally Sponsored Plan, Special Central Assistance and Non-Plan Schemes is as under:-

A. STATE PLAN SCHEMES

i. An amount of Rs. 1000.00 lacs was provided as financial assistance for repair of houses to 4000 beneficiaries under the "**Dr. B. R. Ambedkar Aawas Navinikaran Yojna".**

ii. During this year, an amount of Rs. 125.00 lacs was provided as **share capital to Haryana Backward Classes and Economically Weaker Sections Kalyan Nigam** and an amount Rs. 4444.00 lacs was provided as **administrative subsidy** to bear administrative expenses. It includes administrative subsidy of Rs. 350.00 lacs and Rs. 4094.00 lacs reimbursement of waived off outstanding loans and interest up to 31.03.2013.

iii. An amount of Rs 53.54 lacs was utilized for providing training to 1723 Scheduled Caste/ Backward Classes trainees under the Scheme "**Tailoring Training to Scheduled Castes/ Backward Classes Widows / Destitute Women/ Girls ".**

iv. Under the Scheme of **"Mukhya Mantri Viwah Shagun Yojna",** an amount of Rs. 8017.79 lacs was disbursed to 29426 beneficiaries during the year 2016-17.

v. An amount of Rs. 96.00 lacs was provided as share capital to "Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation" and an amount Rs. 8027.00 lacs was given as **subsidy to bear administrative expenses** during the year 2016-17. It includes administrative subsidy Rs. 675.00 lacs and Rs. 7352.00 lacs reimbursement of waived off outstanding loans and interest up to 31.03.2013.

vi. An amount of Rs. 1617.52 lacs was disbursed to 22040 Students under **"Dr. Ambedkar Medhavi Chhattra Sanshodhit Yojna"** during the year 2016-17.

vii. Under the **Scheme of Information Technology,** an amount of Rs. 19.99 lacs was utilized during the year 2016-17.

viii. An amount of Rs 46.48 lacs was utilized for providing training to 237 youths under the Scheme of **Up-gradation of the Typing and Data Entry Skills of the SC/BC Unemployed youth through Computer'** during the year 2016-17.

ix. An amount of Rs. 30.00 lacs was given to 19 **SC/BC institutions/societies** during the year 2016-17.

x. An amount of Rs. 5.92 lacs was utilized under the **Research and Study** during the year 2016-17.

xi. Under the Scheme **Creation of employment generation opportunities by setting up employment oriented institutes** an amount of Rs 100.00 lacs was spent during the year 2016-17.

xii. An amount of Rs 39.60 lacs was utilized for providing training to 1100 candidates under the Scheme of **financial assistance for higher competitive/entrance Examinations to Scheduled Castes and backward Classes candidates** during the year 2016-17.

B. CENTRALLY SPONSORED SCHEMES

i. An amount of Rs. 23899.9 lacs (Rs 11376.83 lacs Non-Plan and Rs 12523.07 lacs Central Share) was disbursed to 90784 Scheduled Caste Students under the Centrally Sponsored Schemes of **"Post-Matric Scholarship for Scheduled Castes students"** during the year 2016-17.

ii. An amount of Rs 512.16 was disbursed to 19348 Backward Classes Students under the Centrally Sponsored Schemes of **"Post-Matric Scholarship for Backward Classes students"** during the year 2016-17**.**

iii. An amount of Rs. 6.75 lacs was spent on 27 students under **"Up gradation of merit of Scheduled Caste/Scheduled Tribes students"** scheme during the year 2016-17.

iv. Schemes under **Machinery for the Implementation of P.C.R. Act, 1955 and Scheduled Caste and the Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989**:

- **"Legal Assistance"** an amount of Rs. 1.82 lacs (Rs. 0.91 lacs Plan & 0.91 lacs Central Assistance) was disbursed to 33 persons under the "Legal Aid Scheme", during the year 2016-17.
- **"Mukhyamantri Samajik Samrasta Antarjatiya Vivah Shagun Yojana"** under this scheme, an amount of Rs. 239.92 lacs (Rs. 119.96 lacs State Plan and Rs. 119.96 lacs Central assistance) was disbursed to 465 newly wedded couples as incentive.
- **"Award to Panchayats for their outstanding work"** Under this scheme, an amount of Rs 48.00 lacs (Rs. 24.00 lacs State Plan and Rs. 24.00 lacs Central assistance) was given to 96 Panchayats for their outstanding work.
- **"Publicity of Schemes"** under this scheme, an amount of Rs. 19.85 lacs (Rs. 9.93 lacs State Plan and Rs9.93 lacs Central assistance) was spent on publicity of schemes.
- **"Debates & Seminars for Removal of Untouchability "**Under this scheme, an amount of Rs. 5.24 lacs (Rs 2.62 lacs from State Plan and Rs. 2.62 lacs from Centrally Sponsored Plan) was spent on 46 Debates and Seminars.
- **"Monetary relief to the victims of atrocities under Scheduled Castes & Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities), Act 1989"** An amount of Rs 430.46 lacs (Rs. 214.87 lacs State Plan and Rs. 214.87 lacs from Central assistance) was paid to 487 persons under this Scheme.

C. SPECIAL CENTRAL ASSISTANCE SCHEME (100% Centrally Sponsored Scheme)

For the year 2016-17, an amount of Rs. 1752.26 lacs was received from Government of India under special central assistance scheme out of which Rs. 1124.25 lacs was disbursed to various departments. An amount of Rs. 738.98 lacs was disbursed to Haryana Scheduled Caste Finance and Development Corporation for the economic development of scheduled castes under various income generating schemes, Rs. 300.00 lacs was disbursed under skill development programme in various fields for SCs and Rs. 85.27 lacs was disbursed to Skill Development and industrial training department for scheme "Organizing special training for SC/ST and up gradation of ITIs.

D. SCHEDULED CASTES SUB PLAN (SCSP)

The SCSP is being formulated, implemented and monitored as per guidelines of the NITI Aayog, Government of India. As per Census 2011, the SC population in the State of Haryana is 20.17 percent of the total State Population. Only those schemes are covered under SCSP which ensure direct benefit to Scheduled Castes and priority is given for providing basic amenities such as primary education, health, drinking water, nutrition, rural housing, rural link roads, rural electrification, agriculture and allied activities. As a part of national strategy, the villages having 40 percent and above scheduled Castes population (843 villages) are being selected first and provided with the infrastructure. The funds should be earmarked according to the proportion of SC population of the State population. During the year 2016-17, a sum of Rs. 489249.72 lacs was spent under SCSP, out of the total state plan expenditure Rs. 3258500.44 lacs i.e. expenditure is 15.01 percent by departments concerned with SCSP.

E. NON PLAN SCHEMES

i. During the year 2016-17, an amount of Rs. 11376.83 lacs was disbursed as scholarship to Scheduled Castes students under the Scheme of **"Post-Matric Scholarship Scheme for SC students".**

ii. During the year 2016-17, an amount of Rs. 512.16 lacs was disbursed as scholarship to Backward Classes students under the Scheme of **"Post-Matric Scholarship Scheme for O.B.C students".**

iii. An amount of Rs. 3.44 lacs was disbursed as scholarship to 208 students under the Scheme of **"Pre-Matric Scholarship to Children of those who are engaged in Occupations involving Cleaning and Prone to Health hazard"** during the year 2016-17.

iv. An amount of Rs. 94.97 lacs was utilized for **Staff for Hostel** under the Scheme **Pre-Matric Scholarship to Children of those who are engaged in Occupations Involving Cleaning and Prone to Heath Hazard"** during the year 2016-17.

v. During the year 2016-17, an amount of Rs. 23.21 lacs was utilized for providing **hostel facilities to students living in the Hostels for Denotified Tribes Students in Jind.**

vi. An amount of Rs. 138.25 lacs was utilized to pay salaries and allowances to the staff of **"Haryana Backward Classes Commission"** during the year 2016-17.

vii. For the implementation of the aforesaid schemes, an amount of Rs. 2681.42 lacs was utilized during the year 2016-17 to pay salary and allowances to the staff posted at Head Quarter, Districts and Tehsil Level.

F. RESERVATION POLICY

An "Employment Cell" in the Directorate of Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes has been created for monitoring the reservation Policy of State Government for Scheduled Castes & Backward Classes in Govt. services and admission. The Roster Registers of various Government Departments/Public Sector Undertakings are checked by the Roster register checking party regularly.

The quantum of reservation as per reservation policy dated 15-07-2014 for various reserved categories in Haryana State is as under:-

Sr. No.	Category	Percentages of Reservation
1.	Scheduled Castes	20% for class I, II, III & IV posts in Direct Recruitment. 20% for class III & IV post in Promotion. *
2.	Backward Classes	15% in class I & II posts in Direct Recruitment. BC (A) 11% BC (B) 6 % BC (C) 6 % 37% in class-III & IV posts in Direct Recruitment. (16% for Block 'A' & 11% for Block 'B', 6 % for BC (C)*)
3.	Ex-Servicemen	5% Horizontal Reservation in class I & II posts. 14% Horizontal Reservation (7% General, 2% SC, 2% BC Block 'A' & 3% BC Block 'B' in class III & IV posts.

Sr. No.	Category	Percentages of Reservation
4.	Outstanding Sports Persons	3% Horizontal Reservation (1% General, 1% SC & 1% BC from each Block by rotation) in class III & IV posts.
5.	Physically Handicapped	3% horizontal (1% for each i.e. P-H blind & deaf and dumb) in class I, II, III and IV posts.
6.	EBP Persons in the General Caste's	7% in class I & II posts in Direct Recruitment. * 10% in class-III & IV posts in Direct Recruitment. *

* indicates that the Hon'ble Punjab and Haryana High Court had stayed the operations.

Backlog

Information pertaining to Backlog vacancies reserved for Scheduled Castes and Backward Classes as per available information up to 31.03.2016 has been prepared. The Backlog status is as under:-

Group	Total no. of Sanctioned Post	Total no. of Filled Post	Direct Quota Backlog					
			SC	BC (A)	BC (B)	SBC	EBP	Gen ESM
(53 Departments)								
A	644	424	2	11	5	1	4	5
B	7549	4313	272	80	141	195	199	31
C	90253	61032	2660	2224	1507	1853	4741	1089
D	23389	13285	574	503	396	491	465	213
(53 Public Sector Undertakings)								
A	1929	1233	44	08	03	0	0	5
B	1317	679	15	15	06	01	05	0
C	33093	15571	489	409	174	68	106	153
D	10709	6007	374	320	280	163	187	236
(24Comms./DCs)								
C	1680	799	93	88	74	52	81	47
D	1526	676	61	76	64	53	76	57

3. This Administrative Report describes the schemes of the Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department for the year 2016-17. The annexed report depicts the position in detail. While the State Govt. has initiated several schemes for socio-economic empowerment of Scheduled Castes & Backward Classes, persistent efforts are required to bring them at par with others This Department will address itself to this task with greater determination in the coming years.

4. This Review of the Report may be published in the Haryana Government Gazette and its copies of the Report be sent to the Govt. of India and other concerned quarters.

NEERJA SEKHAR,
Principal Secretary to Government Haryana,
Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department.

Chandigarh:
Dated 21.06.2019

57161—C.S.—H.G.P., Chd.